

उत्तराखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका

रूपा देवी¹ एवं पूजा²

1. शोध छात्रा, हिमालयीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर, टांडा जीवनवाला, देहरादून
2. शोध निर्देशिका, हिमालयीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर, टांडा जीवनवाला, देहरादून

Received : 08/05/2024

1st BPR : 14/05/2024

2nd BPR : 26/05/2024

Accepted : 12/06/2024

Abstract

उत्तराखण्ड एक ऐसा पर्वतीय राज्य है, जो एक लम्बे संघर्ष के बाद मिला। इस संघर्ष में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि महिलाओं ने भी अपना पूर्ण योगदान दिया। आज उत्तराखण्ड राज्य को बने 20 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है। आज भी उत्तराखण्ड की महिलाओं का जीवन सदियों से ऐसा चल रहा है। पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों ने महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया है कि वे अब आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के बराबरी कर रही हैं। ये प्रयास सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी भी हैं। वर्तमान व्यवस्था में उत्तराखण्ड को देखे तो यह दृष्टि दौड़ाए तो, उनकी भागीदारी सिर्फ महिला आरक्षित सीटों पर ही ज्यादा देखने को मिलती है। अधिकतर जगह पुरुषों को ही वर्चस्व है।

Key words: उत्तराखण्ड, पंचायती राज, महिलाएं एवं राजनीति।

परिचय

राजनीति का उद्भव अत्यन्त प्राचीन है। राजनीति किसी भी संगठित समाज के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। मनुष्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताएँ उसे समाज एवं राजनीति से जुड़े रहने के लिए विवश करती हैं। जिसका सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन के बिना जीवन कठिन है। समाज से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण सुसंगठित व सामूहिक जीवन से है। समाज में सुरक्षा व अनुशासन बनाए रखने हेतु किसी भी रूप में कोई न कोई शक्ति या प्राधिकार या संस्था का होना जरूरी है। इसी कारण प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में भी मनुष्य किसी न किसी शक्ति के अधीन रहा है। अतः धीरे-धीरे इसी शक्ति या प्राधिकार ने राज्य व शासन का रूप ग्रहण किया जिसके अध्ययन को **राजनीति (पॉलिटिक्स)** के नाम से जाना जाता है।

सर्वप्रथम विश्व में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनान से मानी जाती है प्राचीन यूनानी विचारकों की दृष्टि में प्रत्येक चीज राजनीति है, जिसका संबंध "पूरे समुदाय को प्रभावित करने" से था। यूनानी दृष्टिकोण का यह मानना था कि मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए समुदाय के जीवन में भागीदारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। अतः यह वर्तमान में भी सत्य है कि जो व्यक्ति समुदाय में नहीं रहता उसे या तो देवदूत या पशु गाना जाना चाहिए। यूनानी चिंतकों ने मौलिक तौर पर यह भी कहा कि भ्रान्त एक राजनीतिक प्राणी है यह स्मरणीय है कि तत्कालीन यूनानी छोटे-छोटे नगर राज्यों या समुदायों में संगठित थे। प्रत्येक पुरुष उसमें एक नागरिक था और वह संगठन में समुदाय के मामलों पर फैसला करने के लिए अपने संगठन की बैठकों में प्रतिभाग करता था। इस प्रकार यूनानी चिंतकों की दृष्टि में नागरिक का पूरा व्यवहार उसका राजनीतिक रूप था और कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। अतः यूनानियों ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया कि राजनीति का मुख्य प्रयोजन "मनुष्यों को समुदाय में साथ-साथ जीवन जीने के लायक बनाना और एक उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करना है। इस प्रकार यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यूनानी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों को अपनाने तथा उनका पालन करने में मनुष्यों को बढ़ावा देना तथा आत्मसिद्धि प्राप्त करने में सहायता देना था।

प्राचीन भारतीय विद्वानों मनु, शुक्र, और कौटिल्य के विचारों को भी राजनीति की यूनानी परम्परा की श्रेणी में रखा जाता है जिस प्रकार यूनानी विचारकों ने राजनीति को नानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानकर अपना चिंतन प्रारम्भ किया ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने भी "राजधर्म को सर्वोच्च धर्म की स्थिति प्रदान की है। अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में कौटिल्य ने सम्पत्ति, न्याय, कानून, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध एवं शान्ति आदि सभी विषयों को राजनीति का अंग बताकर उसके विस्तृत स्वरूप को स्पष्ट किया। यद्यपि राजनीति प्राचीन भारतीय चिंतकों की दृष्टि में भी नैतिकता से जुड़ी थी यद्यपि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यथार्थवाद व व्यवहारवाद भी दिखाई देता है।" पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए वरदान के रूप में उभरी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था आने से महिलाओं की



स्थिति में काफी सुधार आया है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का विशेष सदस्य बना दिया है।

अमर उजाला ने पंचायती राज संस्थाओं में राज्य की महिला के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया, जिससे यह तस्वीर उभर कर सामने आई कि राज्य के 13 जिलों में 7791 ग्राम पंचायतों में 62796 पदों पर 35177 महिलाएँ जनप्रतिनिधि हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में उत्तराखण्ड देश का सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य में कुल चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 56 फीसदी है, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है।

उत्तराखण्ड भारत के पहाड़ी राज्यों में से एक है, जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह शोध पत्र इसी मुद्दे पर केन्द्रित है। यह पत्र पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को वर्णनात्मक और अवलोकन संबंधी ज्ञान व साहित्य समीक्षा पर आधारित है।

उत्तराखण्ड में पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता

उत्तराखण्ड में राज्य भारतीय गणराज्य का नवनिर्मित 27वां राज्य है। इसकी स्थापना 9 नवम्बर 2000 को हुई थी। गांवों की सुरक्षा समस्याओं के निराकरण करने एवं विकास कार्य करने के लिए वर्तमान समय उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 7982 ग्राम पंचायतें, 95 विकासखण्ड एवं 13 जिला परिषद्, गठित की गई है तथा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले 3-3 विकासखण्ड है जो कि उत्तराखण्ड के सबसे कम विकासखण्ड व जिले है।

उत्तराखण्ड में पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। "धनसिंह रावत" ने "नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन" में यह माना है कि महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को दिया गया आरक्षण उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उत्तम कदम है। इससे जनता और राष्ट्र की प्रगति संभव है।

भारतवर्ष में महिलाओं की राजनीति में भूमिका को स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

लोकसभा में पुरुष महिला प्रतिनिधित्व

क्र०	वर्ष	कुल सीट	पुरुष प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिशत
1	1952	489	476	22	4.4
2	1957	494	467	27	5.4
3	1962	494	459	35	6.7
4	1967	523	490	30	5.9
5	1971	521	499	21	4.2
6	1977	544	523	19	3.4
7	1980	544	514	28	5.3
8	1984	544	500	42	8.1
9	1989	529	502	27	5.3
10	1991	509	492	39	7.0
11	1996	541	503	40	7.4
12	1998	545	500	43	8.0
13	1999	543	494	49	8.8
14	2004	643	499	44	8.1
15	2009	543	484	59	10.9
16	2014	543	477	66	12.5
17	2019	543	494	79	14.4
18	2024	469	469	74	13.62

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन 2022 में महिला-पुरुष मतदान की स्थिति

जिला	पुरुष	महिला	कुल मतदान	अन्तर
उत्तरकाशी	66.34	70.53	68.48	06.19
चमोली	56.14	66.75	62.38	10.61
रुद्रप्रयाग	54.96	68.74	63.16	13.78
टिहरी	48.54	62.97	56.34	14.43
छेहरादून	61.78	64.68	63.69	2.90

हरिद्वार	75.02	73.64	74.44	-1.38
पौड़ी	50.11	59.04	54.87	08.93
पिथौरागढ़	57.86	62.76	60.88	4.90
बागेश्वर	54.94	68.32	63.00	13.38
अल्मोड़ा	47.57	58.91	53.71	11.34
चम्पावत	55.62	68.64	62.66	13.02
नैनीताल	65.07	67.09	66.35	2.02
यूएस नगर	71.44	72.38	72.27	0.94
कुल मतदान	62.60	67.20	65.37	4.60

उत्तराखण्ड की महिलाएं परिश्रमी व साहसी प्रवृत्ति की है उनका राज्य के विकास एवं प्रगति में राज्य निर्माण के समय से ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य गठन के पूर्व से ही प्रदेश की वीर नारियों ने राज्य के लिए लड़े गये आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की है। राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में महिलाओं ने अपने परिश्रम के बल पर अपने घर, गांव, खेतों और संस्कृति को बचाये रखा है।

उत्तराखण्ड में महिलाओं के योगदान की बात की जाए तो चिपको आंदोलन को 1970 का दशक और पेड़ों को बचाने का अभियान यहां की महिलाओं के द्वारा ही प्रारम्भ किया गया। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाने के अनूठे तौर-तरीके ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस आंदोलन को देश भर में चर्चित और सफल होने की एक वजह इस अभियान में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही परन्तु जो उत्तराखण्ड समूचे देश की महिलाओं के लिए एक प्रमुख नजीर बना, वहां की सियासत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी कितनी है ?

यदि मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो चुनाव आयोग के मुताबिक 2004 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट के प्रतिशत में 20 फीसदी तक का इजाफा हुआ है फिर भी उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा है। महिला मतदाताओं की संख्या समय के साथ प्रदेश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। यदि लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो वर्ष 2004 में राज्य में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें पुरुषों का मत प्रतिशत 53 जबकि महिलाओं का 45 फीसदी के आस पास रहा। 2009 के आम चुनाव में इसमें कुछ इजाफा हुआ जहां एक तरफ 57 फीसदी पुरुष मतदाताओं के भागीदारी रही वहीं महिलाओं की मत भागीदारी 51 के करीब ही पहुंच सकी। परन्तु 2014 का बदलाव दज करने वाला था इस वर्ष वोट देने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई इस वर्ष पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 61 रहा तो महिलाओं का 63 प्रतिशत पहुंच गया। 2019 के चुनावों में भी यही प्रचलन बरकरार रहा और पुरुषों के 59 फीसदी मतदान की तुलना में महिलाओं ने 5 फीसदी ज्यादा 64 प्रतिशत मतदान किया इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ 15 सालों के भीतर ही राज्य में महिला वोटर्स की संख्या 20 फीसदी तक बढ़ गई है। जबकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है।

यदि बात उत्तराखण्ड बनने से पहले उत्तर प्रदेश के समय की करें तो उत्तराखण्ड में पड़ने वाले आज के संसदीय क्षेत्रों की बात करें तो इस क्षेत्र पहली महिला सांसद टिहरी राजपरिवार से कमलेंदु मती शाह थीं, जो 1952 में टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनी गई थीं। इस क्षेत्र को दूसरी महिला सांसद इला पंत को देखने में 46 वर्ष लग गए जो 1998 में नैनीताल से चुनी गई थी और फिर उसके बाद से ये क्षेत्र नया राज्य बन गया तब से सिर्फ एक महिला माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी संसदीय क्षेत्र से संसद तक पहुंची हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद से माला राज्यलक्ष्मी शाह एक मात्र इकलौती सांसद हैं। इस तरह सात दशक से अधिक का समय और केवल तीन महिलाओं का सांसद चुना जाना। यदि दूसरी तरफ अगर राज्य बनने के बाद महिलाओं को मिले टिकट की बात करें तो ही स्थिति का साफ अंदाजा लग सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 उम्मीदवारों में से केवल 05 महिलाएं थीं। 2014 के चुनाव में 07 उम्मीदवार को टिकट मिला, 1 ही जीत पाई और 2009 में भी 7 महिलाओं को मौका मिला लेकिन एक भी संसद तक नहीं पहुंच पाई थी।

उत्तराखण्ड में पंचायती चुनाव और महिलाएं

उत्तराखण्ड में हाल में हुए पंचायती चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण ने महिलाओं को इन चुनावों में बराबर भागीदारी का मौका दिया है।

पंचायतों में महिलाएं ठीक से काम नहीं कर पाती इसके पीछे का प्रमुख कारण है, पुरुषों के द्वारा उनकी सर्वस्वीकार्यता का ना होना, बेटा या पति या पिता का उनको मदद या सहयोग न देना। उत्तराखण्ड की 70 सदस्यीय विधानसभा में पिछले चार चुनाव के दौरान महिला विधायकों की संख्या कभी भी 5 से अधिक नहीं रही है। परन्तु 2017 के चुनाव में यह बढ़कर 8 हो गई थी।

उत्तराखण्ड चुनाव परिणाम 2022

उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव में इस बार भी सबसे ज्यादा 8 महिलाएं पीती है। इसमें 8 महिलाएं भाजपा के टिकट पर, जबकि दो कांग्रेस के टिकट पर जीती है, वहीं इस बार चुनावी मैदान में 63 महिलाओं ने ताल ठोकी थी।

उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के भाग न लेने के प्रमुख कारण हैं—

1. रूढ़िवादी सामाजिक माहौल।
2. परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी।
3. शिक्षा की कमी और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में झिझक।
4. पंचायत प्रणाली के बारे में जागरूकता की कमी।
5. घर से बाहर निकलने में तमाम पावंदियों का सामना करना पड़ता है।

उत्तराखण्ड चुनाव 2024 : महिलाओं का प्रतिनिधित्व

उत्तराखण्ड में 51 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम गया तथा चुनाव प्रचार में महिलाओं के मुद्दे प्रमुखता से उठे, उत्तराखण्ड में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल—उधमसिंह हरिनगर और हरिद्वार, इन सभी सीटों पर शुक्रवार (19 अप्रैल) को वोटिंग हुई। असल मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा, लेकिन सवाल है कि मुकाबले में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी। आंकड़ों को टटोलने पर 5 सीटों पर चुनावी जीत हासिल करने के लिए 55 उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें सिर्फ 5 महिलायें थीं। आधी आबादी की 10 फीसदी से भी कम।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान समय में भी हमें महिलाओं की उतनी भागीदारी देखने नहीं मिलती है जितनी हम अपेक्षा करते हैं। आज भी महिलायें राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि वे अपने आप राजनीतिक रूप से ढाल ही नहीं पाई हैं। आजादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी व निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा ही है। आदि कारणों से भी महिलाओं की भागीदारी हमें कम ही देखने को मिलती है।

सन्दर्भ सूची

1. सिंहल, एस.सी., "समकालीन राजनीतिक मुद्दे", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. श्रीवास्तव, के.सी. (2012-13) "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति", यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद। पृष्ठ 88
3. कुमार, डॉ. नीशू "महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका", नालन्दा प्रकाशन दिल्ली 2021 पृष्ठ-1-2)
4. सिंहल, एस. सी, वही पृष्ठ-152
5. श्रीवास्तव, के.सी. (2012-13) वहीं, पृष्ठ 98
6. सिंहल, एस.सी. "समकालीन राजनीतिक मुद्दे", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा। पृष्ठ-152,153
7. शर्मा, एल. पी, मध्यकालीन, "भारत 1000 ई. से 1761 ई तक" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा पृष्ठ-333-334

*** **